

# कार्यालय अंचल अधिकारी, सोनाहातु (राँची)।

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक..... ता० 25.11.2022 से 06.12.2022 तक

वाद सं० 01 सुन 2022-23 जिला-राँची।

वाद का प्रकार- अनुमति वाद गंभीर महतो वगै० बनाम प्रेमचौद महतो वगै०

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|------------------------------|--|---|
| 1                            | 2  | 3   |
| 25/11/2022                   | <p>न्यायलय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बुण्डू राँची के द्वारा अनुमति वाद सं०-आर० एम०-90/2022-23 छो० का० अधि० 1908 की धारा 46 1 (b) के तहत गंभीर महतो वगैरह बनाम प्रेमचौद महतो वगैरह में जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश प्राप्त है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों को दिनांक- 29/11/22 को अंचल कार्यालय में भूमि से संबंधित सभी कागजात के साथ उपस्थित होने से संबंधित नोटिस निर्गत करें, एवं पुनः दिनांक- 29/11/22 को स्वें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी,<br/>सोनाहातु।</p> <p>अंचल अधिकारी,<br/>सोनाहातु।</p> |   |
| 29/11/22                     | <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित एवं आपत्तिकर्ता अनुपस्थित। दोनों पक्षों को पुनः नोटिस निर्गत करें एवं अभिलेख दिनांक 6/12/22 को रखें।</p> <p>अंचल अधिकारी<br/>सोनाहातु</p>  |   |
| 6/12/22                      | <p>अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्षों ने उपस्थिति दर्ज की। आपत्तिकर्ता बनवारी महतो के द्वारा बताया गया कि खतियानी भूमि को बिना कानूनी बंटवारा किये बेच दिया गया। पुनः समझनात भूमि से यदि इस भूमि को बेच बिया गया तो उनको अपने घर से निकलने का शर्मा बाधित हो जाएगा। द्वितीय पक्ष गंभीर महतो</p>  |   |

एवं जेम्स महतो के द्वारा बताया गया कि शस्त्रों का निरक्षण करने हुए बनवारी महतो का अनापत्ति ले लिया जाएगा।

विषयांकित भूमि के संबंध में गंभीर महतो व जेम्स महतो पिता-मधु महतो के नाम से 1993 का निर्वाण केवाला संलग्न है, किंतु उस समय भी CNT Act 1908 की धारा 46 (i) b का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमतिवाद के ही केवाला पट्टा निर्वाण करवाया गया था। आमतक आपत्तिकर्ता का अनापत्ति तो प्राप्त नहीं ही हुआ जल्द एक और आपत्ति बनवारी महतो के द्वारा पुनः दिनांक 3/2/23 को अंचल कार्यालय सोनाहातु में समर्पित किया गया, जो स्वत्व से संबंधित है।

इससे पूर्व भी पत्रांक 317(ii), दिनांक- 7/6/22 से अनुमति वाद हेतु अनुशंसा रद्द की गई थी। अतः पुनः R.M. वाद संख्या 90/2022-23 को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है एवं अभिलेख की कारवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
अंचल अधिकारी  
सोनाहातु

लेखापित एवं संशोधित

  
अंचल अधिकारी  
सोनाहातु